प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 19.04.2025

थाना मसूरी पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 04 लाख 50 हजार की धनराशि वापस कराई गई।

आद दिनांक 19.04.2025 को साइबर सेल थाना मसूरी कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा आवेदक मनु शर्मा निवासी आकाश नगर थाना मसूरी गाजियाबाद के साथ हुए साइबर फ्रॉड में ठगी गई कुल धनराशि 04 लाख 50 हजार रूपये को आवेदक को वापस कराया गया।

कार्यवाही का विवरण-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना मसूरी गाजियाबाद को NCRP पोर्टल के माध्यम से मनु शर्मा निवासी आकाश नगर थाना मसूरी गाजियाबादके साथ 04 लाख 50 हजार रूपये की ऑनलाइन ठगी से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर साइबर सेल थाना मसूरी कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आवेदकों के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि को होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद दिनांक 19.04.2025 को आवेदक के साथ हुई साइबर फ्रॉड की धनराशी को बैंक से पत्राचार कर वापस कराया गया। आवेदक द्वारा थाना मसूरी पर आकर पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

थाना मसूरी साइबर सेल व पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 किलो 170 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

आज दिनांक 19.04.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मादक पदार्थ की तस्करी करने वाला अभियुक्त सादिक पुत्र असलम निवासी धोबी वाली गली, पी0ए0सी0 चौक केला भट्टा थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद, उम्र करीब 25 वर्ष को चिपयाना अन्डरपास के पास थाना क्षेत्र क्रॉसिंग रिपब्लिक से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे 02 किलो 170 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर

अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं चोरी-छिपे दिल्ली से अवैध गांजा लाकर उसकी छोटी-छोटी पुडिया बनाकर राह चलते लोगों को बेचकर अपने शौक पूरे करता हूँ। आज भी मैं चोरी-छिपे गांजा लेकर आ रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकडा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सादिक पुत्र असलम निवासी धोबी वाली गली, पी0ए0सी0 चौक केला भट्टा थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद, उम्र करीब 25 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

02 किलो 170 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर अवैध गांजा बरामदगी के संबंध में एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा कमिश्नरेट गाजियाबाद में अभियुक्त के विरुद्ध थाना इन्द्रापुरम पर चोरी का 01 अभियोग, थाना कविनगर पर चोरी के 03 अभियोग, थाना कोतवाली पर चोरी के 06 अभियोग तथा गैंगस्टर एक्ट के 02 अभियोग, थाना नन्दग्राम पर चोरी के 02 अभियोग, थाना विजयनगर पर चोरी का 01 अभियोग व थाना सिहानीगेट पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है।

(कुल अभियोग- 17)। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

आज दिनांक 19.04.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तगण 1.गौरव उर्फ जे0डी0 पुत्र लाल सिंह कश्यप निवासी नेहरू मॉडल स्कूल के पास राजीव गॉर्डन थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष 2. अजय उर्फ टुल्ली पुत्र पप्पू निवासी सोमवार बाजार परमहंस विहार नीलम फैक्ट्री के पास थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 24 वर्ष को 02 नम्बर बस स्टेण्ड इन्द्रापुरी के पास से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध बरामदगी के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल धारा 317(2)/317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि यह मोटरसाइकिल हम दोनों ने कैलाश नगर गाँधी नगर दिल्ली से कुछ दिन पहले मौका पाकर चोरी की थी। आज हम इसे बेचने के लिए ले जा रहे थे कि पुलिस चेकिंग में पकड़े गये।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.गौरव उर्फ जे0डी0 पुत्र लाल सिंह कश्यप निवासी नेहरू मॉडल स्कूल के पास राजीव गॉर्डन थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष।

2. अजय उर्फ टुल्ली पुत्र पप्पू निवासी सोमवार बाजार परमहंस विहार नीलम फैक्ट्री के पास थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 24 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना गाँधी नगर दिल्ली में उक्त वाहन चोरी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है तथा उपरोक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

दिल्ली से चोरी की गई 01 मोटरसाइकिल बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा जान से मारने के उद्देश्य से वादी पर गोली चलाने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 पिस्टल, 01 मैगजीन, 02 जिंदा कारतूस व 01 खोखा कारतूस बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक18.04.2025 को थाना इन्दिरापुरम पर वादी श्री प्रवीन कुमार पुत्र सुखवीर सिंह निवासी एमजी रोड़ घिटोरनी दिल्ली फतेहपुर बेरी दिल्ली द्वारा उनके साथ गाली-गलौच करते हुये जान से मारने की धमकी देने व अपनी पिस्टल निकाल कर उन पर निशाना साधकर गोली चलाने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी, जिसके सम्बन्ध में थाना इन्दिरापुरम पर धारा 109,352,351(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्तक्रम में आज दिनांक 19.04.2025 को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर घटना में संलिप्त जान से मारने के उद्देश्य से वादी पर गोली चलाने वाला 01 अभियुक्त सुखदेव उर्फ अमृत पुत्र सतविंदर सिंह कांग निवासी नवाबगंज पतवई रामपुर जनपद रामपुर उ0प्र0 हाल पता एफएफ 4- 202 नीतिखन्ड-1 थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष को शिप्रा मॉल के पास सर्विस रोड़ से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त सुखदेव उर्फ अमृत पुत्र सतविंदर सिंह कांग उपरोक्त की निशानदेही से घटना में प्रयुक्त 01 पिस्टल, 01 मैगजीन, 02 जिंदा कारतूस व 01 खोखा कारतूस बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्त सुखदेव उर्फ अमृत पुत्र सतविंदर सिंह कांग उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग के अन्तर्गत आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त सुखदेव उर्फ अमृत पुत्र सतविंदर सिंह कांग उपरोक्त ने पूछताछ की गयी तो अभियुक्त उपरोक्त ने अपनी गलती की माफी मांगते हुये उपरोक्त घटना कारित करने की बात स्वीकार की गयी तथा घटना में प्रयुक्त शस्त्र के बारे में पूछा गया तो अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि मैने घटना के बाद घटना में प्रयुक्त पिस्टल को डर के मारे पास की झाडियों में फेंक दिया था। जिसे अभियुक्त उपरोक्त की निशांदेही से बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सुखदेव उर्फ अमृत पुत्र सतविंदर सिंह कांग निवासी नवाबगंज पतवई रामपुर जनपद रामपुर उ0प्र0 हाल पता एफएफ 4- 202 नीतिखन्ड-1 थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- घटना में प्रयुक्त 01 पिस्टल, 01 मैगजीन, 02 जिंदा कारतूस व 01 खोखा कारतूस बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त सुखदेव उर्फ अमृत पुत्र सतविंदर सिंह कांग उपरोक्त के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर जान से मारने की धमकी देने व वादी पर गोली चलाने के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

थाना लोनी क्षेत्रान्तर्गत घटित दुष्कर्म की घटना मे दोषसिद्धि का विवरण

1.दिनांक 13.12.2023 को घटित दुष्कर्म की घटना के सम्बध मे आरोपी 1.निजाम उर्फ नाजिम पुत्र पानखां निवासी ग्राम पुसैनी थाना सादाबाद जिला हाथरस हाल निवासी अल्वीनगर थाना अंकुर विहार उम्र करीब 32 वर्ष, 2.पप्पू उर्फ जाकिर पुत्र मजीद निवासी निठोरा रोड विजयनगर बिस्मिल्ला होटल के पास थाना लोनी गा0बाद मूल निवासी ग्राम सुनपुरा थाना ईकोटेक 3 जिला ग्रेटर नोयडा उम्र करीब 58 वर्ष के विरूद्ध मु0अ0स0 980/2023 धारा 376DB/506 भादवि व 5जी/6 पॉक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

2. अभियोग मे आरोपी गणो को दिनांक 14/12/2023 को गिरफ्तार कर दिनांक 25.12.2023 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय मे दाखिल किया गया।

3. अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियो का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किए जाने के फलस्वरूप आज दिनांक 19.04.2025 को मा0 न्या0 विशेष न्यायधीश पॉक्सो अधिनियम द्वारा आरोपी गण 1.निजाम उर्फ नाजिम, 2.पप्पू उर्फ जाकिर को धारा 376DB/506 भादवि व 5जी/6 पोक्सो एक्ट मे आजीवन का सश्रम कारावास एवं 50,000-50,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा पॉक्सो एक्ट मे वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक19.04.2025 को थाना नन्दग्राम पर वादिया द्वारा उनकी 04 वर्षीय बेटी के साथ स्कूल कैब के ड्राइवर द्वारा अश्लील हरकत किये जाने के सम्बन्ध मे तहरीर दी गई। तहरीर के आधार पर थाना नन्दग्राम पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त क्रम मे थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त अभियोग मे नामजद अभियुक्त मिन्टू रावत पुत्र सतपाल रावत उम्र 22 वर्ष हाल पता- जैन की कोठी में सर्वेन्ट कवाटर 12/ए राजनगर थाना कविनगर, गाजियाबाद मुल पता- ग्राम सिरौली थाना असमोली जिला अमरोहा को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मिन्टू रावत पुत्र सतपाल रावत उम्र 22 वर्ष हाल पता- जैन की कोठी में सर्वेन्ट कवाटर 12/ए राजनगर थाना कविनगर , गाजियाबाद , मुल पता- ग्राम सिरौली थाना असमोली जिला अमरोहा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम ।